

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांक: 214 / सो.आ.नि.-393/2017

दिनांक: 04 जुलाई, 2017

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बस्ती, मऊ तथा कासगंज को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषय: वर्ष 2017-18 के लिए ब्लाक संसाधन व्यक्तियों (Block Resource Persons) का जनपद स्तर पर पैनल तैयार किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-113/सो०आ०नि०-393/2016 दिनांक 22 मई, 2017 का संदर्भ लें। उक्त पत्र द्वारा इंगेज किए जा रहे ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनल तैयार करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 07.06.2017 तक बढ़ाई गयी थी। उक्त मामले में पुनर्विचार करके अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि ब्लाक संसाधन व्यक्तियों के पैनल में इंगेज किए जाने की न्यूनतम आयु-सीमा को 45 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष कर दिया जाए। तदनुसार ब्लाक संसाधन व्यक्तियों के पैनल पर रखे जाने हेतु निम्नवत आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं:-

1- पैनल में इंगेज व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट को फौसिलिटेट करने का दायित्व सौंपा जा सकेगा। इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत के सोशल आडिट हेतु ब्लाक संसाधन व्यक्ति को रू० 2000/- व्यवसायिक शुल्क तथा रू० 500/- व्यवसायिक यात्रा शुल्क की अनुमन्यता प्राविधानित है। इंगेज किए जाने वाले ब्लाक संसाधन व्यक्ति (BRP) से कितने ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट में सहयोग प्राप्त किया जाएगा, यह निर्णय निदेशक, सोशल आडिट, उ०प्र० के विवेकाधीन होगा। यह भी सम्भव है कि पैनल में रखे गए किसी BRP को वर्ष में एक भी ग्राम पंचायत में सोशल आडिट को करने का कार्य न सौंपा जा सके। ब्लाक संसाधन व्यक्ति से सोशल आडिट से सम्बन्धित अन्य कार्य भी यथावश्यक निर्धारित व्यावसायिक शुल्क पर लिया जा सकता है।

2- ब्लाक संसाधन व्यक्ति (BRP) के पैनल में इंगेज किए जाने हेतु न्यूनतम अर्हता/प्राथमिकता/आयु सीमा:

(i) इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।

- (ii) जन समस्याओं से संबंधित मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी रखता हो।
- (iii) कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्षता हो तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र हो।
- (iv) आयु— 01 जुलाई, 2017 को न्यूनतम आयु 40 वर्ष तथा अधिकतम 65 वर्ष के बीच हो। उक्त आयु वर्ग के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी न मिलने पर न्यूनतम आयु सीमा को शिथिल करने हेतु निर्णय यथासमय निदेशक द्वारा लिया जा सकता है। पर्याप्त अभ्यर्थी से तात्पर्य रिक्ति के कम से कम तीन गुना आवेदनपत्रों की प्राप्ति से है।
- (v) अभ्यर्थी उसी जनपद का निवासी हो।
- (vi) निदेशालय के सौजन्य से सोशल आडिट से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त अथवा सोशल आडिट की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों तथा मनरेगा जॉबकार्डधारी के परिवार के सदस्यों को वरीयता दी जाएगी।

3— यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्लाक संसाधन व्यक्ति के रूप में पैनल पर इंगेज किए गए व्यक्ति की सेवाएं किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी नहीं है और न ही भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए उनकी कोई हकदारी होगी। पैनल पर इंगेज किए गए व्यक्ति को किसी भी समय बिना नोटिस दिए पैनल से हटाया जा सकता है।

4— इस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार किया गया पैनल 31 मार्च, 2019 तक के लिए मान्य होगा। जिलेवार ब्लाक संसाधन व्यक्तियों की अनुमन्य संख्या संख्या का आगणन जनपद के विकास खण्डों की संख्या के दूने में से वर्तमान में इंगेज किए गए BSACs की संख्या को घटाकर निकाला जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी जनपद में 11 विकास खण्ड हैं और उस जनपद में 07 BSACs पहले से इंगेज किए गए हैं तो उस जनपद में BRPs की संख्या $(11 \times 2 = 22 - 7 = 15)$ होगी। तदनुसार सम्बन्धित जनपद में 15 BRPs का पैनल तैयार किया जाएगा।

5— ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनल बनाने की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक संख्या में ग्राम पंचायतों को सोशल आडिट से आच्छादित किया जाना है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त पैनल को तैयार किए जाने पर भी वर्तमान में संविदा पर सेवा प्रदान कर रहे ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर पूर्व शर्तों के अन्तर्गत यथावत् सेवाएं प्रदान करते रहेंगे तथा उनकी सेवाएं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होंगी। ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनल बनाये जाने की व्यवस्था वर्तमान में संविदा पर ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था से पूर्णतया अतिरिक्त होगी।

6— उपरोक्तानुसार इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से निम्नांकित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1- सेवा का नाम : ब्लाक संसाधन व्यक्ति, जनपद
- 2- अभ्यर्थी का नाम : श्री/सुश्री
- 3- जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
- 4- पिता/पति का नाम :
- 5- शैक्षिक योग्यता :
- 6- कम्प्यूटर पर कार्य करने की क्षमता की पुष्टि में प्रमाण-पत्र का विवरण:
- 7- अनुभव (सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में प्राप्त प्रशिक्षण एवं कृत सोशल आडिट का विवरण) :
- 8- मूल निवास का पता, विकास खण्ड एवं जनपद सहित :
- 9- पत्राचार का पता, मोबाइल नं० तथा ई-मेल (यदि हो) :

अभ्यर्थी की
स्व-हस्ताक्षरित
फोटो

अभ्युक्ति- मूल निवास, शैक्षिक योग्यता, अनुभव (सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में प्राप्त प्रशिक्षण/कृत कार्यवाही) की पुष्टि में स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र/अभिलेख की प्रति संलग्न करें। मूल निवास के प्रमाण हेतु निर्वाचन परिचय-पत्र या आधार कार्ड भी मान्य होगा।

संलग्नकों का विवरण :

- 1-
- 2-

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर व दिनांक

7- ब्लाक संसाधन व्यक्तियों के पैनल पर इंगेज किए जाने हेतु पूर्ववर्ती विज्ञप्ति के सन्दर्भ में जिन व्यक्तियों ने आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदन पत्रों पर भी अर्हता पूर्ण करने पर विचार किया जाएगा।

8- भरे हुए आवेदन-पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला विकास अधिकारी कार्यालय में स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे जाने चाहिए कि आवेदन पत्र दिनांक 31-07-2017 तक कार्यालय अवधि में अवश्य प्राप्त हो जाएं।

अनुरोध है कि कृपया तदनुसार पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं इस विज्ञापन के क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों दैनिक आधार पर सूचीबद्ध करते हुए उन्हें विवरण सहित सुरक्षित रखें। पैनल पर रखे जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने हेतु समिति का गठन जारी करने हेतु अलग से निर्देश जारी किया जाएगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(गोविन्द राजू एन0एस0)
निदेशक।

प्रतिलिपि :-

समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गोविन्द राजू एन0एस0)
निदेशक।